न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 119/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2022/235

प्रार्थीगण

1. पूनाराम पुत्र दुर्गाराम
2. बंशाराम पुत्र शंकरराम
3. सताराम पुत्र दुर्गाराम निवासी चौथपुरा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 26/3/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगणों की पुश्तैनी भूमि मौजा जीवराजसिंह नगर, पटवार क्षेत्र खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2486, 2487, 2498, 2501 मौजा जुडिया के खसरा नम्बर 504, 505, 512, 468, 470, 477, 503, 710 मौजा चौथपुरा के खसरा नम्बर 1454, 1455, 1456, 1546, 1547, 1549, 1460 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खसरान की भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त है। उक्त खसरान की चालु जमाबन्दी मे प्रार्थी संख्या 01 का पूनाराम की बजाय पूंजाराम पुत्र दुर्गाराम प्रार्थी संख्या 02 का नाम बंशाराम की बजाय बंशीलाल पुत्र दुर्गाराम अप्रार्थी संख्या 03 का नाम सताराम की बजाय सतुराम भूलवंश या सेवन से दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम पूनाराम पुत्र दुर्गाराम, बंशाराम पुत्र शंकरराम व सताराम पुत्र दुर्गाराम है। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों मे पूनाराम पुत्र दुर्गाराम, बंशाराम पुत्र शंकरराम व सताराम पुत्र दुर्गाराम नाम दर्ज है जो सही है। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नाम शुद्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी [illegible] गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार करे हुए प्रार्थी संख्या 01 का पूनाराम की जगह पूंजाराम पुत्र दुर्गाराम, प्रार्थी संख्या 2 बंशाराम [illegible] जगह बंशीलाल पुत्र दुर्गाराम प्रार्थी संख्या 03 सतुराम की जगह सताराम पुत्र दुर्गाराम शुद्ध [illegible] की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई [illegible] सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया [illegible] पर मनन किया गया। [illegible] द्वारा उक्त शुद्धि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों, सरपंच ग्राम पंचायत खारीबेरी के प्रमाण पत्र एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्ध करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा जीवराजसिंह नगर, पटवार क्षेत्र खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2486, 2487, 2498, 2501 मौजा जुडिया के खसरा नम्बर 504, 505, 512, 468, 470, 477, 503, 710 मौजा चौथपुरा के खसरा नम्बर 1454, 1455, 1456, 1546, 1547, 1549, 1460 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 का पूनाराम की जगह पूंजाराम पुत्र दुर्गाराम, प्रार्थी संख्या 2 बंशाराम की जगह बंशीलाल पुत्र दुर्गाराम प्रार्थी संख्या 03 सतुराम की जगह सताराम पुत्र दुर्गाराम नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में प्रार्थी का नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 26/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:55:02 IST
Reason: SelfAttested